**FORM NO. III**

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

**अज अदालत <u>मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण संख्या 01 मुकाम किशनगढ़ जिला अजमेर</u>**

**मंजू देवी व अन्य** बनाम **अति बुल्लाह व अन्य**

**किस्म मुकदमा** एम.ए.सी.विविध इजराय **01** **सन्** **2025**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **दिनांकः—** 07.03.2026<br><br>वकील प्रार्थीगण /डिक्रीदार उपस्थित।<br><br>प्रकरण मे पूर्व पेशी दिनांक 25.02.2026 को अधिवक्ता अप्रार्थीगण /मदयूनगण की ओर अण्डरटेकिंग पेश गई एवं वकालतनामा पेश करने हेतु समय चाहा गया किन्तु आज अप्रार्थीगण /मदयूनगण की ओर से कोई उपस्थित नही आया, न ही अप्रार्थीगण /मदयूनगण की ओर से किसी अधिवक्ता की ओर से वकालत नामा पेश किया ं।<br><br>इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.03.2024 के विरूद्व प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध मे कार्यालय कम्प्यूटर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वेब साईट पर चेक किया गया उक्त निर्णय के विरूद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे प्रस्तुत अपील एस.बी.सी.एम.ए. 2445/2024 श्रीमती रफीकुन निशा बनाम मंजू देवी आदेश दिनांक 01.08.2024 के अनुसार " सम्पूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए आदेश दिया जाता है कि आक्षेपित अवार्ड/निर्णय के अधीन ब्याज सहित 35 प्रतिशत राशि अपीलार्थी द्वारा आज से 60 दिन के अन्दर अधीनस्थ अधिकरण में जमा करा दी जाती है तो आक्षेपित अवार्ड के तहत बकाया राशि के निष्पादन की कार्यवाही स्थगित रहेंगी । " उक्त आदेश की पालना में अप्रार्थीगण /मदयूनगण की ओर से इस अधिकरण में राशि जमा नहीं कराई गई है ।<br><br>अप्रार्थीगण /मदयूनगण के विरूद्व जारी नोटिस प्राप्ति रसीद के साथ पेश हुई अप्रार्थीगण /मदयूनगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण /मदयूनगण के विरूद्व वसूली वारंट जारी करना उचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थी/मदयून 01. अतिबुल्लाह पुत्र श्री अन्धी, निवासी ग्राम परसानी पोस्ट भगवानपुरा थाना परसा मलिक जिला महाराजगंज गोरखनाथ–गोरखपुर उत्तरप्रदेश एंव 02 श्रीमती रफिकुन निशा पत्नी श्री जफरूदीन, निवासी मरजादपुर थाना व पोस्ट परसा मलिक जिला महाराजगंज गोरखनाथ–गोरखपुर उत्तरप्रदेश के विरूद्ध वसूली वारंट जिला क्लेक्टर पी.डी.आर. विभाग महाराजगंज उत्तरप्रदेश को प्रेषित किया जावे। उक्त वसूली कार्यवाही में समय लगने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ फैसल किया जाता है कि प्रकरण में वसूली की कार्यवाही सम्पन्न होने के उपरांत प्रकरण पुनः उसी नंबर पर लिया जाकर आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही पत्रावली के सरबरक पर लाल स्याही से यह नोट अंकित किया जावे कि पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं किया जावे। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली रहे।<br><br>पत्रावली उक्तानुसार फैसल की जाती है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>(संदीप आनन्द) | |